भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान

<u>**प्रेस विज्ञप्ति**</u>

सादर प्रकाशनार्थ।

मंत्री सुभाष गर्ग ने महिला अध्यापिका को ट्रांसफर होने के बाद कार्य ग्रहण से रोकाः भजनलाल शर्मा

****

जयपुर 13 अगस्त 2022। प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मंत्री सुभाष गर्ग ने महाराजसर के उच्च माध्यमिक विधालय के प्रधानाचार्य को ट्रांसफर होकर आई महिला अध्यापिका को कार्य ग्रहण न करने का जो आदेश दिया, वह मंत्री द्वारा स्थानांतरण मामलें में दखल है। मंत्री पर ट्रांसफर में भ्रष्टाचार के आरोप के साथ इससे पूर्व में भी राजीव गांधी स्टडी के सदस्यों के साथ मिलकर रीट पेपर को लीक करवाने के आरोप भी लगे है।

भजनलाल ने बताया कि मंत्रियों व कांग्रेस के विधायकों ने ट्रांसफर कराने की दुकाने खोल रखी है एवं मुख्यमंत्री की मौन स्वीकृति प्राप्त है। प्रदेश में ट्रांसफर में लेनदेन हो रहा है, जो कि सरकार की नाक के नीचे एवं उनके संरक्षण में हो रहा है। क्या मुख्यमंत्री सुभाष गर्ग से मंत्री पद से इस्तीफा लेंगे।

शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण दे कि क्या मंत्री सुभाष गर्ग महिला अध्यापिका के कार्य ग्रहण को कौनसे कानून के आधार पर रोक सकता है एवं क्या मंत्री मौखिक आधार पर कार्य ग्रहण का आदेश दे सकता है। कांग्रेस के विधायक मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके है, परंतु राजस्थान सरकार अपने चहेते मंत्रियों को खुले रूप से भ्रष्टाचार करने के लिए छूट दे रखी है।

कार्यालय : सी—51, सरदार पटेल मार्ग, सी—स्कीम, जयपुर। फोन :— 0141—2225040, 2221364
ई—मेल : bjprajasthanjaipur@gmail.com / bjpmediarajasthan@gmail.com